भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2091
उत्तर देने की तारीख 09 दिसंबर, 2024
18 अग्रहायण, 1946 (शक)

खेलों का विकास

2091. डॉ. नामदेव किरसान:
श्री जगदम्बिका पाल:
सुश्री कंगना रनौत:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि देश में खेलों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि युवाओं में खेलों के प्रति विश्वास हो तथा उन्हें खेलों को अपना पेशा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश सहित देश में खेलों के विकास के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में जनजातीय समुदायों के बच्चों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं या कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ) : 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की है और केंद्र सरकार केवल उनके प्रयासों में सहायता करती है। तथापि, यह मंत्रालय हिमाचल प्रदेश सहित देशभर में विभिन्न खेल संवर्धन स्कीमें चला रहा है। इन स्कीम में : (i) "खेलो इंडिया स्कीम- राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम"; (ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता; (iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार; (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन; (vi) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण स्कीम; (vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और (viii) भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्र का संचालन। इन स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

सरकार, केन्द्र सरकार के कार्यालयों में खेल कोटे के अंतर्गत खिलाड़ियों को नौकरी भी प्रदान करती है, जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) द्वारा जारी समेकित अनुदेशों द्वारा शासित होता है। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, मंत्रालय और विभाग किसी भी वर्ष में 5% तक की प्रत्यक्ष भर्ती की रिक्तियों के लिए मेधावी खिलाड़ियों को भारत सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' के पदों पर भर्ती कर सकते हैं।

खेलो इंडिया स्कीम के "खेल अवसंरचना का निर्माण और उन्नयन" घटक के अंतर्गत देश भर में 323 खेल अवसंरचना परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं (जिनमें हिमाचल प्रदेश में 193.21 करोड़ रुपये की लागत वाली 09 परियोजनाएं भी शामिल हैं)। हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में खेलो इंडिया स्कीम के तहत स्वीकृत खेल अवसंरचनाओं का विवरण पब्लिक डोमेन में मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा, सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य में 18 खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी), 1 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई) और 11 खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियां (केआईएए) स्थापित की हैं।

(ङ) जनजातीय क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत एक समर्पित घटक "ग्रामीण और देशज/जनजातीय खेलों का संवर्धन" का कार्यान्वयन किया जाता है।

****